



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

## सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 12.06.2026

### थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना होलागढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-36/26 धारा-191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/74/75/76/324(4)/127(8)/288/309(6) भा0न्या0सं0 व 9/10 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामकैलाश यादव पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम कस्तूरीपुर हरिकिशन कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक- 12.06.2026 को थाना होलागढ़ क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे की साइड रोड के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

रामकैलाश यादव पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम कस्तूरीपुर हरिकिशन कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 46 वर्ष।

## सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 - 36/26 धारा - 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/74/75/76/324(4)/127(8)/288/309(6) भा0न्या0सं0 व 9/10 पॉक्सो एक्ट थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कमरुद्दीन, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. का0 मन्नू कुमार बिन्द, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का0 नन्दकिशोर, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. रि0का0 सतीश, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. रि0म0का0 प्रतिभा, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

## थाना करछना पुलिस टीम द्वारा 01 नामित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना करछना पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/26 धारा 105 बीएनएस के नामित वांछित अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ बडकऊ भारतीया पुत्र स्व0 मूलचन्द्र नि0 ग्राम बस्तर थाना करछना जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 12.06.2026 को थाना क्षेत्र के खाई बरदहा मार्ग पर कल्याणशाह पुरा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-11.06.2026 को वादी मुकदमा प्रदीप उर्फ बाबू जी पुत्र गुलेश भारतीया निवासी नीबी थाना करछना प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी के पिता गुलेश भारतीया शराब पीने के आदि होने के कारण दिनांक 09.06.2026 को आरोपी बडकऊ के घर शराब पीने गये थे, जहाँ आपस में कहासुनी लड़ाई झगडा होने पर आरोपी

द्वारा धक्का मार देने से जमीन पर गिर गये जिससे शरीर हाथ पैर मे चोटे आना तथा आरोपी द्वारा वादी के पिता जी को सड़क के किनारे फेक देना । जिन्हे ग्राम खाई के लोगो द्वारा देख कर घर पर बताये जाने पर परिवार के लोगो द्वारा अस्पताल ले जाया गया जहां पर डाक्टरो द्वारा मृत घोषित कर देने के संबंध में मु0अ0सं0 179/26 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग पंजीकृत कर संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसके क्रम में आज दिनांक-12.06.2026 को अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ बड़कऊ भारतीया उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### **पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ पर अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ बड़कऊ भारतीया उपरोक्त ने बताया कि मैं आस पास मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता हूं । मुझे और गुलेश को शराब पीने की लत है । उस दिन सुबह के समय गुलेश मेरे घर पर आया हमदोनों ने वहा पर शराब पी और तलब लगने पर जोगिया बारी तालाब के पास बैठकर हमदोनो ने और शराब पी । हमलोग नशे में थे, इसी दौरान शराब के पैसे के लेन-देन को लेकर हमलोगों का आपस में विवाद हुआ, इसी दौरान धक्का मुक्की में गुलेश जमीन पर गिर गया और उठ नहीं पाया । उसके बाद मैं डरकर वहा से भाग गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

राजेन्द्र उर्फ बड़कऊ भारतीया पुत्र स्व0 मूलचन्द्र नि0 ग्राम बस्तर थाना करछना जनपद प्रयागराज, उम्र 45 वर्ष ।

### **सम्बन्धित अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 179/26 धारा 105 बीएनएस थाना करछना कमि0 प्रयागराज ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 अभिलाष कुमार, थाना करछना कमि0 प्रयागराज ।
2. हे0का0 विजय कुमार यादव, थाना करछना कमि0 प्रयागराज ।
3. का0 दिनेश सिंह, थाना करछना कमि0 प्रयागराज ।